न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 32 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/34)
पंजीयन दिनांक– 11.02.2021
निर्णय दिनांक– 16.02.2021

1. श्री राजाराम पिता भोलीराम जाट, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री डालचंद पिता गोपीलाल कुम्हार, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री शंकर पिता गोपीलाल कुम्हार, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री चरणसिंह पिता डालचंद जाट, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री बेणीराम मुतबन्ना स्व. बोतलाल जाट निवासी, जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री अमृतराम पिता घमंडीराम जाट, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री लोभचंद पिता मगनलाल जाट, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या–405 / 2014 निर्णय दिनांक 03.06.2015

निर्णय

दिनांक 16.02.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 405/2014 निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 24.09.2020 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश, एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा. दी. के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जालमपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी नम्बर 391, 419 किता 02 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर स्थित है जो कि भू–प्रबंध अधिकारी के के आदेश मिसल संख्या 204/84 दिनांक 25.05.1985 की पालना में रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण के नाम नामांतरकरण खोजा जावें। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब किये बिना ही अपने प्रकरण संख्या 405/14 निर्णय दिनांक 03.06.2015 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाने से दुखी व असंतुष्ट तथा व्यथित पक्षकर होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.06.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः– ***"हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।***

प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत के अवलोन से श्री बोतलाल, घमंडीराम, मगनीराम पिता चंपालाल जाट को 28.11.1984 को तात्कालीन जागीरदार श्री उदयलाल मेहता द्वारा ग्राम जालमपुरा की साबिक आराजी नम्बर 392/3 एवं 42, 43 पट्टे पर दी थी। उक्त पट्टे के आधार पर आराजी नम्बर 392/3 तो तात्कालीन पटवारी द्वारा उनके नाम पर दर्ज कर देना अपने बयान में स्वीकार किया शेष आराजी के संबंध में आवेदनकर्ता द्वार प्रार्थना पत्र में नाडा नाम पर दर्ज करने की कहा था इस कारण अन्य आराजी दर्ज करने का नामांतरकरण जारी नहीं किया का कथन किया है। पट्टे के अवलोकन से पट्टा 28.11.1948 को जारी होकर तात्कालीन जागीरदार द्वारा जारी किया गया है, इंतकाल नम्बर 58 वर्ष 1962 का होकर तात्कालीन पटवारी श्री भेरूशंकर द्वारा जारी किया हुआ है, जो वर्तमान में सेवानिवृत होकर प्रकरण संख्या 204/84 में अपने बयान में उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा मामले की पूर्ण जांच कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र संख्या 204/84 को दिनांक 25.05.1985 को स्वीकार करते हुए ग्राम जालमपुरा की नवीन आरजी नम्बर 42, 43 प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है तथा इस पर संशोधित पर्चा लगान भी जारी किया, किन्तु भू–प्रबंध कार्य रिकार्ड तैयार हो चुका होने से मात्र जमाबंदी में आदेश का नोट अंकित किया, जिसका अमल जमाबंदी के वक्त रोटेशन के दौरान खातेदारान के नाम उक्त दोनों आराजीयात अंकित कर खाता अलग कायम करना चाहिए था। जो तात्कालीन पटवारी एवं भूमिधारी द्वारा नहीं किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति वर्ष 1948 की होकर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है तथा तत्कालीन पटवारी द्वार भी पट्टे के आधार पर संपूर्ण आराजीयात खातेदार के नाम अंकित नहीं कर पट्टे की आंशिक पालना की गई जो

न्यायोचित नहीं है। शेष दोनो आराजीयात भी प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पायी जाने से प्रार्थीगण अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वार प्रकरण संख्या 204/84 में पारित आदेश दिनांक 25.05.85 के अनुसार ग्राम जालमपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 419 रकबा 0.78 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 391 रकबा 1.14 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.92 हैक्टेयर बिलानाम से कम कर प्रार्थीगण श्री बेणीराम मुतबन्ना स्व. बोतलाल जाट, घमंडीराम पिता चंपालाल जाट मृतक की बजाय अमृतलाल पिता घमंडीराम जाट, मगनलाल पिता चंपालाल मृतक के बजाय लोभचंद पिता मगनलाल जाट निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के नाम खातेदारी हक से दर्ज की जावें।''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से श्री सुरेशपुरी गोस्वामी उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.02.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कब्जे

की वास्तविक रिपोर्ट या रेकार्ड संबंधी कोई कमिश्नर रिपोर्ट तलब नहीं की गई एवं रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने की नियत से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। जबकि मौके पर अपीलांट्स राजाराम, डालचंद, शंकर व चरणसिंह के कब्जा एवं मकानात बने हुए है तथा पुराना श्मशान है। विवादित आराजीयात के उत्तरी दिशा पर तलाई बनी हुई है, और वहां हर समय पानी भरा रहता है और मवेशी पानी पीते है। धारा 136 एलआर एक्ट का बहुत ही लिमिटेड स्कॉप है, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर धारा 136 के अंतर्गम प्रार्थना पत्र पेश कर त्रुटि में सुधार किया जाता है परंतु उपरोक्त निर्णय धारा 136 एलआर एक्ट के तहत नहीं आते है। इस प्रकार के प्रकरण में मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर दस्तावेजों को प्रदर्श कराया जाकर ही किसी तरह से निर्णय पारित किया जा सकता है। भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 204/84 दिनांक 25.05.1985 में आदेश पारित किया गया जबकि इस तरह के आदेश पारित करने के अधिकार भू–प्रबंध अधिकारी को नहीं है फिर भी अवैधानिक आदेश को सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो, विधिक नहीं है। अपीलांट संख्या 02 अमृतराम की ओर से अपील प्रस्तुत की गई परंतु आदेश में प्रार्थीगण संख्या 02 की जगह अमृतराम के पिता घमंडीराम का नाम दर्ज है फिर भी उक्त आदेश की पालना में जो नामांतरकरण संख्या 973 खोला गया उसमें अमृतराम पिता घमंडीराम के नाम से नामांतरकरण खोला गया जबकि आदेश दिनांक 03.06.2015 में प्रार्थीगण बेणीराम, घमंडीराम व लोभचंद को बता रखा है। इस प्रकार मृतक के पक्ष में आदेश पारित हुआ है उसकी पालना भी हो गई है। मौके पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स का कोई कब्जा नहीं है यदि मौके की कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाती तो वास्तविक स्थिति सामने आती परंतु रेस्पोडेंट्स को फायदा पंहुचाने की नियत से बिलानाम आराजीयात प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स के खातेदारी में दर्ज कर दी गई इस कारण उक्त अपील स्वीकार की

जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय पर गुणावगुण पर अपील निस्तारित की जाए।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पर निर्णय देना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नहीं है अतएवं न्यायहित में, अखण्डित शपथ–पत्र व वर्णित तथ्यों के आधार पर मियाद कण्डोन की जाती है।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा दफा 96 जा.दीवानी के आवेदन पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट का यह कथन है कि उनके द्वारा विवादित भूमियों पर मकान आदि बनाकर निवासरत है तथा रेस्पोंडेण्ट द्वारा उक्त भूमि में पीने के पानी की तलाई भी भरवाकर कब्जा कर लिया है तथा अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमादा है, इसलिए अपीलाण्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2015 के बाद तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक–740 दिनांक 10.04.2017 से यह वर्णित किया है कि आराजी नं0 391 में 0.05 हैक्टेयर का नाड़ी निर्माण व 0.03 हैक्टेयर पर कच्ची पाल निर्मित है एवं 0.03 हैक्टेयर पर शंकरलाल पिता गोपीलाल कुम्हार अर्थात् अपीलाण्ट संख्या 3 का पक्का मकान व बाड़ा बना हुआ है तथा आराजी नं0 419 रकबा 0.78 हैक्टेयर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पत्थर के खण्डे डाल रखे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में अपीलाण्ट

आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार है, अतएवं अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम थे, उनके द्वारा इस न्यायालय की अपील के सन्दर्भ में नोटिस देखकर लेने से इंकार कर दिया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 अधीनस्थ न्यायालय के आवेदक को अपील पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है अथवा वे न्यायालय की प्रक्रिया में सुनवाई नहीं चाहते एवं न्यायिक प्रक्रिया में उनका सम्मान नहीं है। तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस उनके मकान पर चस्पा किया जाना भी वर्णित किया है।

प्रकरण में हम जब अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड एवं अपीलाण्ट की अपील का अवलोकन करते हैं तो मुख्य प्रश्न हमारे समक्ष यह उपस्थित होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी त्रुटियों के निराकरण, धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों बाबत् विधिक स्थिति इस प्रकार है – वर्तमान में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आराजी नं0 391 रकबा 1.14 हैक्टेयर एवं आराजी नं0 419 रकबा 0.78 हैक्टेयर जो कि बिलानाम दर्ज है, उन्हें अपने नाम दर्ज करवाने के लिए भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संशोधित पर्चा लगान की फोटो प्रति पेश कर यह कथन किया है कि उक्त भूमियां उनके नाम दर्ज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस में विस्तारपूर्वक आवेदक रेस्पोंडेण्ट द्वारा वर्णित किया गया है कि किसी उदयलाल मेहता द्वारा दिनांक 28.11.1948 को कोई पट्टा जारी किया गया था, जिसमें भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मिसल नं0 204/84 दिनांक 25.05.1985

को कोई आदेश जारी किया गया, जिसकी पालना में उनके पक्ष में नामान्तकरण दर्ज किया जाये। पैरोकार सरकार की ओर से अत्यन्त औपचारिक जबाब प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड को देखने से यह सुस्पष्ट होता है कि एक खाम कागज पर जिसमें आराजी नं0 भी स्पष्ट नहीं है, उसका उदयलाल द्वारा अस्पष्ट आराजी का कोई वर्णन दिया गया है, अर्थात् यह स्पष्ट नहीं है कि पट्टा किन आराजीयात का दिया गया था। भू–प्रबन्ध विभाग की सम्वत् 2042 में आराजी नं. 391 एवं 419 दोनों बिलानाम दर्ज है तथा उसमें एक नोट लगा हुआ है कि मिसल नं0 204/84 दिनांक 25.05.85 से खसरा नं0 391 एवं 419 आवेदक रेस्पोंडेण्ट के नाम दर्ज किया जायें। इस बाबत् भू–प्रबन्ध विभाग की पत्रावली की आदेशिका 25.05.85 भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है तथा संशोधित पर्चा लगान में आराजी नं0 391 एवं 419 का पर्चा लगान भी आवेदक रेस्पोंडेण्ट के नाम दर्ज किया हुआ है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में रेसपोडेंट के सामान्य आवेदन को जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.06.2015 से यह वर्णित किया गया है कि

तत्कालीन जागीरदार उदयलाल मेहता द्वारा जालमपुरा की साबिक आराजी नं0 392/3 एवं 42, 43 पट्टे पर दी गयी थी। उक्त पट्टे के आधार पर आराजी नं0 392/3 तो तत्कालीन पटवारी द्वारा उनके नाम पर दर्ज कर दी, शेष आराजी के संबंध नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ। पट्टे के अवलोकन से पट्टा 28.11.48 को जारी होकर तत्कालीन जागीरदार द्वारा जारी किया गया है, इंतकाल नं0 58 वर्ष 1962 का होकर तत्कालीन पटवारी श्री भेरूशंकर द्वारा जारी किया हुआ है, जो वर्तमान में सेवानिवृत होकर प्रकरण संख्या 204/84 में अपने बयान में उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। भू–प्रबन्ध

विभाग द्वारा मामले की पूर्ण जांच कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम जालमपुरा की नवीन आराजी नं0 42, 43 प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। इस पर संशोधित पर्चा लगान भी जारी किया, किन्तु भू–प्रबन्ध कार्य रिकार्ड तैयार हो चुका होने से मात्र जमाबंदी में आदेश का नोट अंकित किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह वर्णित करते हुए हाल बिलानाम वर्णित आराजी नं0 391 एवं 419 को रेस्पोंडेण्ट आवेदक के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। हाल आराजी नं0 391 एवं 419 बिलानाम थी, यह स्वीकृत स्थिति है। तत्कालीन समय में उदयलाल कौन थे तथा उसके द्वारा 1948 में पट्टे जारी किये गये, इस बाबत् निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता एवं यदि पट्टा वास्तविक है तो उसका तत्समय भी अमल–दरामद क्यों नहीं हुआ ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उक्त पट्टा जो कि एक खाम कागज पर है, उसमें से कुछ आराजी तो रेस्पोंडेण्ट के नाम दर्ज है तथा पट्टे में वर्णित शेष बिलानाम आराजीयात उसके नाम दर्ज की जाए, इस हेतु न तो भू–प्रबंध विभाग सक्षम है, न ही यह धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्कॉप है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में सिर्फ यह वर्णित है कि भू–प्रबन्ध विभाग के पूर्व की प्रविष्ठियों को ही भू–प्रबन्ध द्वारा ही यदि त्रुटि की गयी है तो उनको संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत सुधारा जा सकता है। भू–प्रबन्ध विभाग को सिर्फ विक्रय–पत्र, विरासत एवं न्यायालय आदेश की पालना में ही नामान्तकरण दर्ज करने का अधिकार है। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी बिलानाम भूमि को किसी कथित पट्टे के आधार पर किसी के नाम पर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ पूर्व की प्रविष्ठियों को ही दोहराना चाहिये अर्थात् प्रथम दृष्टया तो भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार के कथित पट्टे के आधार पर कार्यवाही किये जाने का एवं बिलानाम भूमि को दुर्विनियोजित करने का अधिकार ही नहीं है एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई त्रुटि कारित ही नहीं की गई अर्थात् भूमि

को आदेश होने के बावजूद भी बिलानाम रखा गया तो भू–प्रबन्ध विभाग की अक्रियान्वित आदेश को क्रियान्वित कर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजकीय भूमि को किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कर देना न तो उचित है न ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 का उद्देश्य एवं स्कॉप है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो कार्यवाही की गयी है, वह न तो विधिक है न ही तथ्यात्मक रूप से उचित है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर विवादित आराजीयात जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिलानाम से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज की गयी है, उक्त आदेश को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में पारित किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.04.2017 को उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं होने एवं भूमि पर खंडे होने व अन्य लोगों के मकान बने होना व कब्जा होने बाबत् वर्णित किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता हे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच के बिलानाम भूमि को निजी व्यक्तियों को बिना विधिक आधार एवं विवेक अनुपयोग के निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर ग्राम जालमपुरा चित्तौड़गढ़ की आराजी नं0 419 रकबा 0.78 हैक्टेयर एवं आराजी नं0 319 रकबा 1.14 हैक्टेयर को पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर